

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/2476 विरुद्ध आदेश दिनांक 15-5-17 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, बैतूल प्रकरण क्रमांक 362/बी-121/14-15.

- 1- मुरारी सोनी आत्मज चैतराम सोनी
 - 2- जितेन्द्र सोनी आत्मज मुरारी सोनी
 - 3- दिलीप सोनी आत्मज मुरारी सोनी
- निवासीगण ग्राम कोदारोटी
तहसील व जिला बैतूल

.....आवेदकगण

विरुद्ध

अनिल सोनी आत्मज प्रभुदयाल सोनी
निवासी ग्राम कोदारोटी
तहसील व जिला बैतूल

.....अनावेदक

श्री यशवन्त साहू, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.के. यादव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-5-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार बैतूल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम डूडाबोरगांव स्थित सर्वे क्रमांक 299/1 रकबा 1.446 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की है, जिस पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये। नायब तहसीलदार, बैतूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 362/बी-121/14-15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिस पर अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 15-5-17 को आदेश पारित कर





अनावेदक की आपत्ति स्वीकार की जाकर दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किये गये । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।


3/ प्रकरण दिनांक 2-11-2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदकगण द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों एवं निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों तथा अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) आवेदकगण की ओर से सौदा बयाना चिट्ठी दिनांक 20-4-2007 प्रस्तुत की गई थी, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा प्रदर्श डी-1 पर अंकित किया गया था, उस पर अनावेदक की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः पश्चातवर्ती आपत्ति स्वीकार करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।
- (2) अनावेदक द्वारा बाद की सोच के कारण सौदा बयाना चिट्ठी अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क के आधार पर अग्राह्य करने सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार करने में तहसील न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।
- (3) तहसील न्यायालय द्वारा इस बात पर सूक्ष्मता से विचार नहीं किया गया हे कि सौदा बयाना चिट्ठी को प्रतिरक्षा में संपार्श्विक प्रयोजन (कोलेट्रल पर्पस) के लिए साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, जिस पर स्टाम्प शुल्क पटाने या इम्पाउण्ड पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।
- (4) तहसील न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में अग्राह्य करने के बजाय उसे कलेक्टर आफ स्टाम्प को उचित मुद्रांक शुल्क अवधारित करने हेतु भेजना चाहिए था न कि अभिलेख को साक्ष्य में अग्राह्य

उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत सौदा बयाना चिट्ठी को साक्ष्य में ग्राह्य करने के आदेश दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) आवेदकगण द्वारा सौदा बयाना चिट्ठी दिनांक 20-4-2017 को प्रस्तुत किया गया था, जो डी-1 पर अंकित किया गया है, तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा उनकी फाईल में रख




लिया गया था । जब अनावेदक को सौदा बयाना चिट्ठी देखने का अवसर ही नहीं मिला तो आपत्ति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।


(2) आवेदक का यह आधार गलत है कि आफ्टर थाट के कारण दिनांक 11-4-17 को आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि बिना दस्तावेज देखे आपत्ति कैसे उठाई जा सकती है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज साक्ष्य में अग्राह्य किये जाने में उचित कार्यवाही की गई है ।

(3) संपार्श्विक प्रयोजन (कोरेट्रल परपस) क्या है, यह स्पष्ट ही नहीं लिखा गया है और मात्र ऐसा लिख देने से वह सिद्ध नहीं हो जाता, जबकि बयाना चिट्ठी जालसाजीपूर्ण रूप से लिखा गया है तो अनावेदक इस चिट्ठी का प्रयोग धारा 53 ए संपत्ति अंतरण अधिनियम के अन्तर्गत पार्ट परफार्मेन्स के रूप में क्यों कर रहा है और पार्ट परफार्मेन्स कोई कोरेट्रल परपस नहीं होता है, बल्कि वह तो इस प्रकार का होता है कि जिसके आधार पर संविदा के विशिष्ट पूर्ति का व्यवहार वाद लाया जा सकता है, परन्तु इसके भी आवेदकगण ने नहीं लाया है तो कोरेट्रल परपस लिखना मात्र निराधार है है ।

(4) आवेदक ने अपने जवाब दिनांक 24-4-17 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इम्पाउण्ड करने की आवश्यकता नहीं होने सम्बन्धी कथन किया है और अब इम्पाउंडिंग हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प को भेजने की बात कर रहा है, जो कि विधि विरुद्ध है तथा कथित दस्तावेज दिनांक 20-4-07 का निष्पादन प्रभुदयाल द्वारा हुआ ही नहीं है तो इम्पाउंडिंग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

तर्कों के समर्थन में 2009 (3) एम.पी.एल.जे. 289 (सुप्रीम कोर्ट) (डबल बैंच) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।


5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्थ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने स्वयं अपने अभिवचन में कथित सौदा चिट्ठी के न होने सम्बन्धी संशोधन किया है । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सौदा चिट्ठी को अभिलेख पर लेकर उभय पक्ष को अपनी साक्ष्य से उक्त सौदा चिट्ठी को प्रमाणित/खण्डन करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करने में त्रुटि की गई है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह उक्त सौदा चिट्ठी अभिलेख पर लेकर उभय





पक्ष को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित/खण्डन का समुचित अवसर उपलब्ध कराकर विधिसंगत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-5-17 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विलेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर